न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर0ए0एस0

अपील संख्या 75/2021

निर्णय दिनाक 25.04.2022

गणेश पुत्र भूरा जाति जाट निवासी सुर्री तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

बनाम

1 नारायणी पत्नि रिद्वकरण जाति जाट निवासी सुर्री तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

2. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 11.06.2009 ग्राम सुर्री तहसीलदार दूदू तहसील दूदू

उपस्थित

कृष्ण कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी

मुकेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

अपील का संक्षिप्त सार निम्नानुसार यह है कि आराजी खसरा संख्या 332, 333 334,342,343,347 कुल किता 6 कुल रकबा 1.50 हैक्ट0 ग्राम सुर्री भू0 अभि0निरीक्षक हल्का साली, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात अपीलान्ट के जाईन्दा पिता भूरा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाईन्दा पिता भूरा के नाम थी। भूरा ने अपने जीवनकाल में अपने भाईयों व भतीजो की आपसी सहमति से बंटवारानामा कृर्षि भूमि ग्राम सुर्री व खाजीपुरा के सम्बध में निष्पादित किया था। जिसमें वरवक्त निष्पादन परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। जो दिनाक 16.09.2000 को 10/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था। विवादग्रस्त भूमि बंटवारानामा में अपीलान्ट के हिस्से में आई थी। परन्तु धोखाधडी पूर्वक व छल कपट पूर्वक विवादग्रस्त आराजीयात का विकय विलेख भूरा के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खडा कर दिनांक 09.01.2009 को निष्पादित_करवा लिया था। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 11.06.2009 को तहसीलदार दूदू द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथीत होकर अपीलान्ट की और से अपील निम्न आधारो पर पेश की है।

1 यह कि पारिवारिक बंटवारानामा निष्पादन दिनांक 16.09.2000 के समय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायणी व उसका पति रिद्वकरण मौजूद था। तथा उक्त बंटवारानामा पर बतौर सहमति उनके हस्ताक्षर थे तथा उनको इस बात की पूर्णतः जानकारी थी कि विवादग्रस्त आराजीयात बंटवारानामा के तहत अपीलान्ट के हिस्से में आई है के बावजूद फर्जकारी व धोखाधडी पूर्वक भूरा के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खडा करके विकय विलेख विवादग्रस्त पंजीबद्व करवा लिया जो शुन्य होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

2 यह कि विकय विलेख दिनांक 09.01.2009 के सम्बध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा थाना दूदू में दर्ज करवाई गई जिसमे धोखाधडी पूर्वक विकय विलेख पंजीकृत करवाने के सम्बध में दर्ज करवाई गई थी। जो वर्तमान मे जैरे अनुसंधान में है। जिसमें जैरे अनुसंधान यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

तय किया जाना है कि भूरा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके विक्रय विलेख पंजीकृत करवा लिया इसी स्थिति में जहां पर विक्रय विलेख का निष्पादन धोखाधडी पूर्वक कुटरचित व साजिशी दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपीलान्ट के बंटवारानामा दिनांक 16.09.2000 के जरिये उक्त विवादग्रस्त भूमि प्राप्त हो गई थी। तथा तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलान्ट उक्त विवादग्रस्त भूमि पर बतौर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बखूबी रूप मे थी के बावजूद यह जानते हुऐ कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा बंटवारानामा के तहत उक्त विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के हिस्से मे आई है के बावजूद फर्जीकारी करते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूरा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके विक्रय विलेख निष्पादित करवा लिया जो शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि बंटवारानामा निष्पादन के समय परिवार के सभी सदस्य मौजूद थें तथा उनकी उपस्थिति व गवाहो की उपस्थिति में नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित बंटवारानामा निष्पादित किया गया था। जिसकी जानकारी परिवार के सदस्यों तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उनके पति रिद्वकरण को थी तथा इस बात की जानकारी भी थी कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट ही बतौर काबिज काश्त चला आ रहा है के बावजूद फजी तरीके से विक्रय विलेख अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि भूरा ने बंटवारानामा पर बतौर सहमति अपने हस्ताक्षर किये थें परन्तु विक्रय विलेख पंजीकृत के समय विक्रय विलेख पर उसकी अंगूठा निशानी की गई थी जबकि भूरा हस्ताक्षर करता था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो की इस बात को भली भांति जानता था कि भूरा हस्ताक्षर करता है के बावजूद भूरा के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खडा करके विक्रय विलेख पर भूरा की अन्य व्यक्ति से अंगूठा निशानी करवा दी और कुटरचित दस्तावेजात अपने पक्ष में निस्पादित करवा लिया और उक्त कुटरचित दस्तावेज के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित करवा लिया तथा नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया इस कारण से उक्त कृटरचित दस्तावेज के आधार पर करवाया गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं

6. यह है कि अपीलान्ट व भूरा को उक्त तथ्य की जानकारी कभी नही रही कि विवादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत किया जा चुका हे। तथा उसके आधार पर नामान्तकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है उक्त तथ्य की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के यहां एक वाद रिद्वकरण बनाम गणेश प्रस्तुत करने पर हुई तथा जिसकी जानकारी होने के पश्चात अपीलान्ट ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दूदू मे दर्ज करवाई जो जैरे अनुसंधान है तथा तत्पश्चात कोरोना के कारण अपीलान्ट नामान्तकरण की नकल लेने मे असमर्थ रहा जैसे ही उसके अधिवक्ता ने नामान्तकरण के सम्बध में जानकारी करने हेतु कहा तो उसके द्वारा नामान्तकरण की जानकारी ली गई तत्पश्चात उसकी नकल प्राप्त की गई है। जो जानकरी अन्दर मिया पेश है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार दूदू द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 11.06.2009 ग्राम सुर्री को निरस्त कर तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायणी की और से मुकेश चौधरी एड0 द्वारा शीघ्र सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र व जवाब मय वकालतनामा पेश किया। जवाब में रेस्पोडेन्ट के ससूर भूरा पुत्र धीसा ने स्वंय की इच्छा से पैसे की आवश्यकता होने के कारण उक्त आराजीयात दिनांक 09.02.2019 को स्वंय ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उप पंजीयक जयपुर के यहॉ गवाहों के समक्ष मेरे पक्ष मे प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त विक्रय पत्र कृर्षि भूमि मेरे पक्ष मे तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 11.06.2009 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

मेरे पक्ष में तस्दीक हो गया तभी से में उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही हूँ। तथा एक्त आराजीयात का कब्जेशुदा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हूँ। उक्त नामान्तकरण को जो कि विक्रय पत्र के द्वारा नियमानुसार तस्दीक किया गया है वह अपीलार्थी कानूनन किसी भी प्रकार से खारिज करवाने का अधिकारी नही है। अतः अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है। तथा जवाब के साथ दस्तावेज सूची के साथ जमाबन्दी की छाया प्रति व विक्रय पत्र की छाया प्रति व न्यायालय ए0सी0जे0एम0 दूदू एफ0आर0 संख्या 110/2020 पुलिस थाना नरेना की छाया प्रति पेश की है।

तहसीलदार दूदू से मूल रिकार्ड तलब किया गया।

पत्रावली मे बहस हेतु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा काफी मौके दिये जाने के वाबजूद भी बहस नही की गई। अतः बहस को बंद किया जाकर पत्रावली आदेश में नीयत की गई। हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। तथा मनन करने पर पाया कि विक्रय विलेख एक सिविल दस्तावेज है जो समक्ष न्यायालय से निरस्त करवाया जा सकता है। अतः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण के सम्बध में इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये निर्णय में कोई त्रृटि प्रतीत नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले मे सुनाया गया।

राजेन्द्रसिंह शेखावत
अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू
जिला जोधपुर राज0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)